

दिनांक 04.03.2022

पति

श्रीमान वनमण्डलाधिकारी

सा. वनमंडल डिंडौरी

म.प्र.

विषय :- ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु दी गई सैद्धांतिक अनुमति हेतु पालन प्रतिपेवदन वावत्।

संदर्भ :- आपके द्वारा दी गई सैद्धांतिक अनुमति क्र./मा.चि./1651 दिनांक 03.03.2022

महोदय,

संदर्भित पत्र के अनुसार बरगांव माल से खरगवारा रैयत मार्ग रोड के किनारे कक्ष क्र. 930,918 लम्बाई 3180मी.कुल क्षेत्रफल 0.159 हे0 में ओ.एफ.सी. लाइन बिछाने की सैद्धांतिक स्वीकृति आपके पत्र क्र/मा.चि./1651 दिनांक 03.03.2022 को प्रदान की गयी थी। प्रदान की गयी अनुमति में दी गयी सभी शर्तोंका पालन करने हेतु आवेदक संस्था (जिओ डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड भोपाल) वचनबद्ध है। पत्र में दी गई शर्तें निम्नानुसार मंजूर हैं।

क्र.	शर्तें	सहमति
1	केबल लाईन डालने हेतु खुदाई/खन्ती/मार्ग किनारे किनारे मार्ग सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र (राईट ऑफ वे ) में ही किया जावेगा।	सहमति
2	केबल लाईन बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खंती की गहराई 1.5 मी एवं चौड़ाई 0.5 मी से अधिक नहीं होगी।	सहमति
3	वन क्षेत्र से होकर गुजरने वाले मार्ग जिसमें केबल लाइन खोदा जाना है। वन भूमि हस्तांतरित नहीं कि जावेगी।	सहमति
4	वनभूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जावेगा।	सहमति
5	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्या किसी कार्य के लिये नहीं किया जावेगा।	सहमति
6	खंती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुँचाई जाएगी तथा खंती में आने वाली जड़ों को नहीं काटा जायेगा।	सहमति
7	समतलीकरण का कार्य आवेदक/आवेदक संस्थान के द्वारा उनके व्यय पर खोदी गई खंती से निकाली गयी मिटटी से ही किया जावेगा।	सहमति
8	समतलीकरण कार्य हेतु यदि मिटटी/मुर्रम/पत्थर की आवश्यकता हो तो वन क्षेत्र से उत्खनन नहीं किया जावेगा।	सहमति
9	आवेदक संस्था रोड सीमा के अंतर्गत ही केबल बिछाने के लिए खुदाई का कार्य करेंगे।	सहमति
10	यदि आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार द्वारा वन भूमि/वन को किसी प्रकार की हानि पहुँचाई जाती है अथा समतलीकरण का कार्य अधूरा/अपूर्ण रखा जाता है, तो निर्धारित राशि आवेदक/आवेदक संस्थान से देय होगी।	सहमति



DIGITAL  
LIFE

11	आवेदक / आवेदक संस्थान को उक्त अनुमति में बरगांव माल से खरगवारा रैयत तक मार्ग के किनारे-किनारे केवल बन भूमि के लिये है। राजस्व विभाग के वन क्षेत्र (छोटे-बड़े झाड का जंगल) के लिये नहीं है।	सहमति
12	यदि भविष्य में शासन अथवा इस कार्यालय द्वारा अन्य कोई शर्तों को अधिरोपित किया जाता है। तो वह आवेदक / आवेदक संस्थान को मान्य होगी।	सहमति
13	कार्य के दौरान किसी भी वन अधिकारी को सूचित कर निरीक्षण किया जा सकेगा व दिये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।	सहमति
14	कार्योपरांत संबंधित परिक्षेत्र को सूचित कर निरीक्षण कराया जावेगा तथा कार्य सम्पादित प्रतिवेदन मय संभावित स्थलों के छायाचित्र सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा।	सहमति



जिओ डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड  
एम पी नगर भोपाल  
म.प्र.